

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

ओम प्रकाश गुप्ता बनाम् अमरनाथ

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-158/2015

आदेश दिनांक

29.04.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री अनुबोध जैन, अधि. वास्ते श्री आलोक गर्ग, अधि. अपीलार्थी की ओर से
सुश्री गायत्री राठौड़, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक गर्ग की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री अनुबोध जैन ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि श्री आलोक गर्ग अस्वस्थ होने के कारण आज न्यायालय नहीं आ सके हैं। उन्होंने इस आधार पर स्थगन दिए जाने की प्रार्थना की।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को स्थगन दिए जाने में गंभीर आपत्ति है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा रखे गये कारण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में स्थगन दिया जाता है।

यह अपील दिनांक-15.05.2019 को सूचीबद्ध की जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-54

सत्यमेव जयते